

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

ईमेल :- deanlibrary@gmail.com

फैक्स नंबर :- 0731-2514628

वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

कमांक / /स्था / स्वशासी / 2022

इन्दौर ,दि.

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर के चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर में परिचारिका संवर्ग के रिक्त पदों हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13.07.2021 को ऑनलाईन विज्ञापन जारी कर भर्ती परीक्षा के पश्चात् एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रेषित प्रावीण्य सूची अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थी को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर के असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीटेंडेंट के रिक्त पद पर निर्धारित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण दिनांक से निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

No.	NAME OF CANDIDATES	FATHERS NAME	Candidate Category	PAYSCALE
1	DEEP SHIKHA KHADSE	VISHAL ANAND DAVID	UR	9300-34800+4200

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अंतिम दिनांक के पूर्व तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हों किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
- यह नियुक्ति अपिव आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगी।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं.एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं. एफ-5/1/2005/नियम/चार,दि.02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता कमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
- उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियाँ एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी।
- आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100 रु. के स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
17. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर म.प्र. नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
18. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
19. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
20. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
21. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
22. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण –पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र, दो सेवा पुरितका तथा रु.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
23. आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में यदि भविष्य में किसी तरह की कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त होने पर जांच के पश्चात शिकायत सही पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
24. शासकीय सेवारत आवेदक उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता से स्वीकृत त्यागपत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)

अधिष्ठाता,

म.गां.स्मू.चिकि.महाविद्यालय इन्दौर

इन्दौर, दि.

27/11/2022

कमांक / 1724-20 / स्था / एस.ओ.ई / स्वशासी / 2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल।
3. प्रभारी संचालक, स्कूल आफ आई एकसीलेंस, इन्दौर
4. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपयें 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी, 03 माह पश्चात परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त होने के पश्चात म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप कमांक सी, 3 -13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देश के बिन्दु "ब" के अनुसार वेतन आहरण की प्रक्रिया अपनाई जावे।
5. सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर।
6. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. कार्यालय आदेश नस्ति।

(डॉ. संजय दीक्षित)

अधिष्ठाता

म.गां.स्मू.चिकि.महाविद्यालय, इन्दौर